(1)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा मुकाम दौसा

.....परदा वगै. .....बनाम.....PWD दौसा वगै. .....

किस्म मुकदमा.....ता.पत्र T.I. ..... नं. .....47/2022 .....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुयें
21/12/22	अधिवक्ता श्री गजवीर सिंह ने एड. ता.पत्र T.I. उनवान परदा वगै. बनाम PWD दौसा वगै. पेश किया। मनदरज दर्ज रजि. किया जावे। अग्रिम की तसदीक हेतु पेशशुदा तसबाबा नोटिस जरिये Reg. AD जारी होकर फायसी पिनोक 14/2/23 को पेश हो।	4139-4141 21/12/22
23/1/23	पक्षिन तरफी द्वारा प्रस्तुत मिसल तरफी ता.पत्र के आधार पर यह फायसी निर्धारित तारीख पेशी से तक कि जाबर आज मामलात में पेश हुयी। पक्षिन तरफी उप.। तरफी सं. 2 एवं मामलात में उप.। तरफी ने फायसी में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने एवं फायसी को विड्रो करने का निवेदन किया। अतः फायसी विड्रो करने हेतु तरफी द्वारा प्रस्तुत ता.पत्र स्वीकार किया जाकर फायसी विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। फायसी फैसलशुमार होकर दफ्तर से खारिज हो। उप ~~जिला~~ अधिकारी दौसा (राज.)	Withdrawn T.I. Engineer Rajdev Adv. (M. S. Chilkara)